

फैक्स/ई-मेल सन्देश  
राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा  
निर्वाचन सदन, प्लाट नं 02, सैकटर 17  
पंचकूला।

क्र० रा०नि०आ०/३ई- ११/२०१०/१४२३

दिनांक

२६.०४.२०१०

सेवा में

उपायुक्त एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),  
कुरुक्षेत्र।

दिनांक, पंचकूला                    अप्रैल, २०१०

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव २०१०- आर०ओ०, ए०आर०ओ० तथा पी०ओ० ए०पी०ओ० एवं पोलिंग आफिसरस की नियुक्ति करने हेतु उनकी योग्यता एवं अन्य शर्तों बारे।

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक ४०५/पं० दिनांक २०.०४.२०१० के सन्दर्भ में।

2. विषयाधीन मामले में माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय छारा चुनाव से सम्बन्धित तैयारी बारे दिनांक १२.०४.२०१० को गुडगांव डिवीजन स्तर पर दिनांक १३.०४.२०१० को व रोहतक तथा हिसार डिवीजन स्तर पर बैठक की गई जिसमें विचार-विमर्श उपरांत आयोग छारा निर्णय लिया गया है कि आर०ओ०, ए०आर०ओ० तथा पी०ओ०, ए०पी०ओ० एवं पोलिंग आफिसरस तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारी की डियूटी उसके पैतृक गांव/वार्ड में ना लगाई जाये। इसके अतिरिक्त हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, १९९४ के नियम १५ से १९ व २१ में वर्णित निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

-हस्ता-  
अधीक्षक/पंचायत  
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

पृ०क०:रा०नि०आ०/३ई- ११/२०१०/१४२४-४३                    दिनांक: २६.०४.२०१०

इसकी प्रति राज्य के सभी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को सूचनार्थ/आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

-हस्ता-  
अधीक्षक/पंचायत  
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा